बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संoसंo–2/एलo–47/2026– /स्वाo, पटना, दिनांक–

डा0 आरती सिन्हा, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, कटिहार के दिनांक–11.04.2021 से 30.04.2021 तक कुल–20 दिनों के उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वैoदाoनिoकोo) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1441(25), दिनांक–11.07.2025 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम–230 एवं 236 के आलोक में निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है :–

(i)	दिनांक–11.04.2021 से 29.04.2021 तक	–	कुल–19 दिनों को उपार्जित अवकाश के रूप में।
(ii)	दिनांक–30.04.2021 को	–	असाधारण अवकाश के रूप में।

2. इसमे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2/एलo–47/2026– 2612(2) पटना, दिनांक 2/1)/2026

प्रतिलिपिः महालेखाकार (लेo एवं हo) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैoदाoनिoकोo) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार/अधीक्षक, सदर अस्पताल, कटिहार/जिला कोषागार पदाधिकारी,कटिहार/डा0 आरती सिन्हा, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः आईoटीo मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।